5

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय मध्यप्रदेश
ज्ञापन

क्रमांक 1–16 / 868 / गो0शा0(1) / कोर्टकेस / 2016, जबलपुर, दिनांक 14-12-16
प्रति,

अति0 मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय :– Judgment of Supreme Court of India – Contempt petition © No. 133 of 2016 in Civil Appeal No. 2768 of 2015.

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक 4056 / 6908 / 2016 / बी–4 / दो, दिनांक 30–11–16.

कृपया उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके तहत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त होमगार्ड स्वयंसेवी जवानों से संबंधित अवमानना याचिका (सी) 133 / 2016 सिविल अपील क्रमांक 2768 / 2015 में पारित निर्णय के संबंध में स्पष्ट टीप भिजवाने हेतु लेख किया गया है ।

2– उक्त परित निर्णय में दर्शाए अनुसार होमगार्ड जवानों के न्यूनतम वेतन के संबंध में स्पष्ट आदेश पारित किए गये हैं, जिसमें **पे + ग्रेड पे** को जोड़कर उस पर मंहगाई भत्ता एवं वासिंग भत्ता भी दिए जाने के आदेश हैं **(प्रदर्श–ए)** ।

3– म0प्र0 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 21–01–2015 को पारित निर्णय अनुसार दिनांक 01–12–2011 से होमगार्ड जवानों को एरियर राशि दिए जाने, तथा जब तक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा होमगार्ड जवानों के लगातार कार्यरत रहने के संबंध में सेवा शर्तो का निर्धारण नहीं कर देती है, तब तक रु0 9,000 / – मासिक से कम नहीं दिए जाने के निर्देश थे **(प्रदर्श–बी)**। अतः होमगार्ड जवानों को दिनांक 01 दिसम्बर 2011 से 05.02.2013 तक की अवधि का एरियर राशि का भुगतान किया जा चुका है, तत्पश्चात् शासन द्वारा स्वीकृत अनुसार दिनांक 06.02.2013 से रू. 300 / – प्रतिदिन के मान से (मासिक रू. 9000 / –) , इसी तरह वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासन द्वारा 10 प्रतिशत, तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुनः 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, तदानुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश स्वयंसेवी होमगार्ड जवानों को प्रतिमाह मानवेतन + भोजन राशि+ धोबी–नाई के रूप में राशि रू. 12,040 / – भुगतान की जा रही है।

4– माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 21.01.2015 के अनुक्रम में म0प्र0 होमगार्ड जंवानों की म0प्र0 पुलिस आरक्षक के न्यूनतम मूल वेतन की राशि से कम भुगतान नहीं किया जाना है। स्वयंसेवी होमगार्ड जवानों को देय राशि में शासन व्दारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में 10 % बढ़ोत्तरी की जा रही है । तदानुसार वर्तमान में दिनांक 01.04.2016 से म0प्र0 होमगार्ड सैनिकों को राशि **रु0 12,040–00** भुगतान किया जा रहा है **(प्रदर्श–सी)**। म0प्र0 शासन, गृह पुलिस विभाग, के पत्र क्रमांक एफ–2 (अ) / 88 / 11 / बी–4 / दो, पार्ट, भोपाल, दिनांक 24–01–2013 के तहत प्रेषित जानकारी में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में ''पे बैण्ड'' का उल्लेख नहीं होना दर्शाया गया था **(प्रदर्श–डी)** ।

8

5– म0प्र0 पुलिस आरक्षकों को निम्नानुसार न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहा है,:–

1– बेसिक पे	रु0 5680–00	
2– ग्रेड पे	रु0 1900–00	
3– डी0ए0	रु0 9475–00	(125 %)
योग	रु0 17,055–00	

6– स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों को देय राशि में शासन व्दारा अगले वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किये जाने की स्थिति में लगभग रु. 13,240/– मासिक देय होगा, जबकि पुलिस आरक्षकों का वर्तमान स्थिति अनुसार लगभग रु0 17,055–00 मासिक भुगतान बनता है। वर्तमान में म0प्र0 स्वयंसेवी होमगार्ड जवानों को देय प्रतिमाह मानवेतन+भोजन राशि+ धोबी–नाई के रुप में राशि रुपये 12,040–00 भुगतान की जा रही है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विषयांकित प्रकरण में पारित निर्णय के आलोक में म0प्र0 पुलिस आरक्षकों के वर्तमान में न्यूनतम वेतनमान अनुसार बेसिक पे+ग्रेड पे+डी.ए.+वाशिंग एलांउस के भुगतान के आदेश है ।

7– म.प्र. होमगार्ड जवानों को भुगतान की जा रही राशि रु0 12,040/– को बढ़ाकर म.प्र. पुलिस आरक्षक के न्यूनतम वेतन राशि रु. 17,055–00 किये जाने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट व्दारा निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान में होमगार्ड स्वयंसेवी जवानों का स्वीकृत बल 16305 है, जिसमें 15800 होमगार्ड सैनिक एवं 505 गोपनीय सैनिक हैं । अतः स्वीकृत बल संख्या 16,305 को पुलिस आरक्षक के न्यूनतम वेतन लागू किए जाने की स्थिति में रु. 17,055 - 12,040 = 5015 X 16305 = रु.8,17,69,575/– (आठ करोड़, सत्रह लाख, उनहत्तर हजार, पॉच सौ पचहत्तर) लगभग मासिक राशि का अतिरिक्त व्ययभार होना संभावित है । कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में तद्नुसार शीघ्र शासन स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार.

14/11/16

(व्ही.के. सिंह)
डायरेक्टर जनरल,
होमगार्ड मध्यप्रदेश

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल